MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1806(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) number G.S.R. 15 (E), dated the 9th January, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 5, relating to Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, for the figures and words "1670, Trichy Road, Ramanathapuram, Coimbatore-641 045", the following entries shall be substituted, namely:-

"Ex-Services Centre, Jawans Bhavan, 2nd & 3rd floor, 27, Travellers Bungalow Road, Coimbatore-641018".

[F. No. 23/8/2015-DRT]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.





असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1599] No. 1599] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ज्येष्ठ 16, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/JYAISTHA 16, 1939

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ. 1806(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 09 जनवरी, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का संशोधन करती है, अर्थात:-

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने "1670, त्रिची रोड, रामनंतपुरम, कोयम्बतूर-641045" अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"एक्स सर्विसिस सेंटर, जवान्स भवन, दूसरा और तीसरा तल, 27, ट्रेवलर्स बंगला रोड, कोयम्बतूर-641018"।

> (फा.सं. 23/8/2015-डीआरटी) सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव